कार्यालय राज्य परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी, रायपुर

आर्थिक सर्वेक्षण, वर्ष 2017–18

1. लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी संरचना

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा ''छत्तीसगढ़ युवाओं के कौशल विकास का अधिकार अधिनियम, 2013'' के तहत अपने युवा साथियों को अपना कौशल विकास करने के लिए कानूनी अधिकार दिया है। छत्तीसगढ़, देश का ऐसा पहला राज्य है, जिसने ऐसा कानून बनाया है, जिसमें 14 से 45 वर्ष की आयु सीमा के हमारे युवा साथी अपनी रूचि के अनुसार हुनर प्राप्त करने के लिए कलेक्टर को आवेदन देकर संबंधित कोर्स में कौशल प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे। कौशल प्रशिक्षण के लिए आवेदक को अपने जिले के कलेक्टर को आवेदन करना होगा। कलेक्टर 90 दिनों के अन्दर आवेदन का निराकरण करेंगे। युवाओं को कौशल विकास के लिए अपने शहर या अपने गांव की जरूरतों के अनुसार तथा रूचि के अनुसार हुनर प्राप्त करने के लिए कानून में 108 सेक्टरर्स के 108 कोर्सेस उपलब्ध है। वर्तमान में सामान्य तौर पर दैनिक जीवन में हम अपने चारों ओर घट रही घटनाओं के प्रभाव में जीते हैं। प्रति व्यक्ति का जीवन को सुनियपोजित करने का कोई प्रयास नहीं करते। इसका मुख्य कारण है मनुष्य का जीवन एक ऐसा वातावरण निर्मित करता है जो हमारी भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक अथवा शारीरिक स्थिति को विपरीत रूप से प्रभावित करता है। इससे हमारे व्यक्तिगत जीवन एवं सामाजिक/पारिवारिक जीवन, दोनों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। मनुष्य के अंतःकरण में जितने गहरे मूल्य छिपे हुए होते हैं, उतना ही उसका आचरण नैतिक होता है। यदि किसी परिस्थिति में कोई व्यक्ति अपने भीतर छिपे मूल्यों पर आधारित भाव के साथ कार्य करता है तो स्वाभावित तौर पर उसका बाहरी आचरण नैतिक हो जाता है। नैतिक आचरण इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके कारण परस्पर विश्वास स्थापित होता है, किसी संस्थान मे एकता का भाव आता है, आपस में लोगों के संबंध में अच्छे होते हैं तथा यह बेहतर व्यक्तिगत एवं सामूहित निर्णय लेने में भी मदद करता हैं। ऐसे में मूल्यों को देखने का एक अन्य दृष्टिकोण यह भी है कि स्व-प्रबंधन का यह तंत्र सहज-ज्ञान युक्त न होकर वातावरण से प्रभावित होता है, जिसमें निरंतर सीखाने एवं अन्य मनुष्यों के व्यवहार से, विशेषकर, उम्र एवं हैसियत में वरिष्ठ, प्रेरित होकर इन्हें अर्जित किया जा सकता है। किसी भी व्यक्ति के जीवन में उसके द्वारा अर्जित मूल्य उसके आसपास के वातावरण, समाज एवं उसके परिवार पर निर्भर करते हैं, ऐसे में केन्द्र सरकार एवं राज्य शासन की सोच के अनुरूप देश में छत्तीसगढ़ में प्रथम लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी का गठन किया गया, ताकि राज्य के गरीब, दुखी परिवार एवं बेरोजगार लोगों के जीवन स्तर को ऊँचा उठाने की दृष्टि से कौशल प्रशिक्षण हेतु एक प्रशिक्षण केन्द्र के रूप में स्थापित की गई हैं।

2. लाईवलीहुड कॉलेज की स्थापना एवं आवश्यकता

छत्तीसगढ़ राज्य में लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी एक शासकीय कौशल प्रशिक्षण केन्द्र संस्थान के रूप में कार्य प्रारंभ किया गया है, जिसमें पूर्व से विभिन्न विभागों के द्वारा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत हितग्राहियों

को रोजगार/स्वरोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से विभिन्न कौशल प्रशिक्षण/उन्नयन कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। पूर्व में राज्य के विभिन्न विभागों द्वारा हितग्राहियो के कौशल विकास हेतु चलाये जा रहे प्रशिक्षण कार्यक्रमों में एकरूपता नहीं थीं। रोजगार/स्वरोजगार हेतु आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से प्रशिक्षित हुये हितग्राहियों की जानकारी उन्हें नियोजन के अच्छे अवसर उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से राज्य में किसी एक एजेंसी के पास उपलब्ध नहीं थे।

अन्य विभागों में चलाये जा रहे कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों में एकरूपता लाने तथा अभिसरण की आवश्यकता थी, जिससे प्रदेश के युवक/युवतियों को रोजगारोन्मुखी कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने अथवा अपने कौशल उन्नयन करने एवं नियोजन के लिए समुचित अवसर प्राप्त हो सके, इसी उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए राज्य में माननीय मुख्यमंत्री जी के अनुमोदन उपरांत मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना प्रारंभ की गई हैं।

दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा नक्सल प्रभावित होने के कारण शिक्षा के क्षेत्र में अपेक्षाकृत पिछड़ा हुआ जिला था। शिक्षा के प्रसार हेतु जावंगा में एजुकेशन हब की स्थापना की जा रही थी, परंतु समाज का एक बड़ा वर्ग औपचारिक शिक्षा से वंचित हो रहा था जो पूर्व में किसी कारणवश drop-out हो गया था। ऐसे युवाओं को बाजार की आवश्यकताओं के अनुरूप अल्पअवधि के रोजगारोन्मुख कौशल प्रशिक्षण निःशुल्क देकर अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा में सम्मिलित करने के उद्देश्य से दंतेवाड़ा में प्रारंभ किया गया। अक्टूबर 2012 में इसे औपचारिक रूप से प्रारंभ किया गया। दंतेवाड़ा में लाईवलीहुड कॉलेज की सफलता को देखते हुए राज्य के सभी 27 जिलों में एक नवीन परियोजना के अंतर्गत लाईवलीहुड कॉलेज प्रारंभ करने का निर्णय राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ युवाओं के कौशल विकास का अधिकारी अधिनियम, 2013 के तहत लिया गया और राज्य परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी का गठन किया गया। लाईवलीहुड कॉलेजों में युवाओं को उनकी रूचि के आधार पर विभिन्न पाठ्यक्रमों में निःशुल्क प्रशिक्षण पश्चात उन्हें रोजगार एवं स्वरोजगार प्रदाय करने में सहायता की जा रही है।

3. राज्य परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी एवं जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी का संगठन एवं संरचना

राज्य परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज, छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 के अंतर्गत दिनांक 14.07.2014 को सोसायटी के रूप में पंजीकृत कर संचालित किया जा रहा है, जिसके शासी परिषद् अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री जी तथा कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष मुख्य सचिव है। सभी जिलों में जिल परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज, कलेक्टर की अध्यक्षत में संचालित की जा रही है तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला

पंचायत जिसके निदेशक भी हैं। कलेक्टर अपने जिले के बाजार एवं उद्योगों के मांग को ध्यान में रखते हुए हितग्राहियों की योग्यता एवं रूचि के आधार पर कांउसिलिंग के उपरांत उन्हें बेहतर रोजगार एवं स्व-रोजगार प्रदान करने के लिए लाईवलीहुड कॉलेज में संचालित कौशल प्रशिक्षण केन्द्र का स्वयं के द्वारा मॉनिटरिंग करते हैं। राज्य परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी की गतिविधियों के पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण करने हेतु कौशल प्रशिक्षण से संबंधित दिशा-निर्देश संरचना के शासी परिषद् (गवर्निंग कांउसिल) के कार्यकारिणी समिति के विचार-विमर्श के द्वारा अपना योगदान मार्गदर्शन के रूप में निर्देशित किया जाता है एवं प्रत्येक जिले में जिला स्तर में क्रियान्वयन करने के लिए जिला कलेक्टर को अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत को निदेशक के रूप में कार्य करने के लिए उत्तदायित्व सौंपा गया है।

4. लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी का पद-संरचना

(अ) राज्य परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी

क्रमांक	**पदनाम**	**स्वीकृत पद संख्या**
1	अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी	01
2	संयुक्त संचालक (वित्त)	01
3	डिप्टी मुख्य कार्यपालन अधिकारी	04
4	एक्जीक्युटिव सहायक	03
5	कार्यालय सहायक	02
6	ऑफिस सहायक	03
योग-		**14**

(ब) जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी

क्रमांक	पदनाम	स्वीकृत पद संख्या
1	प्राचार्य	06
2	सहायक परियोजना अधिकारी	21
3	लेखापाल	27
4	अधीक्षिका/सह कार्यालय सहायक	27
5	कार्यालय सहायक	27
6	हेल्पर	54
योग–		**162**

5. राज्य परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज एवं जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी का कार्य एवं उत्तरदायित्व

प्रदेश में कौशल विकास के गुणवत्तायुकत क्रियान्वयन समन्वय एवं मार्गदर्शन के लिए समिति द्वारा किये जाने वाले कार्य निम्नानुसार है :-

1. प्रत्येक जिले में लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी के दिशा-निर्देश अनुरूप आम लोगों को मार्गदर्शन एवं सहायता प्रदान करना।
2. कौशल प्रशिक्षण से संबंधित समस्त शासकीय विभागों को कौशल विकास क्षेत्र में उन्नयन हेतु प्रेरणा देना।
3. विभागीय कौशल विकास योजनाओं के अंतर्गत संचालित कौशल प्रशिक्षण हेतु लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी के माध्यम से प्रशिक्षण आयोजित करने एवं नियोजन का अवसर प्रदान के लिए महत्वपूर्ण कार्यदायित्व का निर्वहन का कार्य।
4. अजीविका कॉलेज द्वारा पढ़े-लिखे अत्यन्त गरीब युवक/युवतियों एवं बेरोजगारों को निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान करना।

5. अजीविका कॉलेज में कौशल विकास कार्यक्रमों के संचालन हेतु मापदंड के अनुरूप क्षेत्रीय निवासियों की ओर ध्यान आकर्षित करना।
6. अजीविका कॉलेज उद्यमिता विकास केन्द्र के रूप में विकसित करना।
7. प्रशिक्षित युवाओं को नियोजित एवं स्वरोजगार प्रदाय करनें हेतु उघोगो एवं निजी संस्थानों के नियोजनकर्ताओं से टाई-अप की व्यवस्था करना।
8. कौशल विकास प्रशिक्षण के लिए सरकारी एवं अर्धसरकारी विभागों से मध्यस्थता का कार्य।
9. स्कूल drop-out बेरोजगारों को वर्तमान बाजारों की आवश्यकताओं के अनुरूप अल्पअवधि के रोजगारोन्मुख कौशल प्रशिक्षण प्रदाय करना।
10. बेरोजगार युवक/युवतियों को वर्तमान जीवनशैली में जीने के लिए रोजगार एवं स्वरोजगार उपलब्ध प्राप्त करने हेतु योग्य बनाना।

6. परियोजना का लक्ष्य एवं उद्धेश्य

छत्तीसगढ़ राज्य के युवाओं को उनकी रुचि के आधार पर विभिन्न पाठ्यक्रमों में निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदाता के रूप में लाईवलीहुड कॉलेज का नाम पहचाने जाते है। प्रशिक्षित प्रशिक्षणार्थियों को रोजगार एवं स्वरोजगार प्रदाय करने में सहायता के उद्देश्य से विभिन्न कोर्सेस एवं पाठ्यक्रमों के तहत कौशल प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना की गई है। वित्तीय वर्ष 2014-15 में राज्य के सभी जिलों में लाईवलीहुड कॉलेजों में रोजगार मूलक निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम के तहत कटिब्धता है।
शिक्षा का अर्थ सिर्फ डिग्री से नहीं हैं। ऑफिशियल कार्य-कलाप में ज्ञान एवं शिक्षा का सही अभिप्राय है- ‘‘जब ज्ञान का, व्यवहारिक दृष्टिकोरण अपनाते हुए उसका योजनाबद्ध तरीके से उपयोग किया जाता है, तो वह ‘‘कौशल’’ में बदल जाता है। जो हमें हमारे कार्यालयीन कार्यों को कुशलता पूर्वक करने में मददगार होता है। कौशल उन्नयन के बगैर कोई व्यक्ति दक्षता प्राप्त नहीं कर सकता है।’’
साकारात्मक दृष्टिकोण हमारे निजी एवं व्यावसायिक दोनों ही प्रकार के जीवन में उन्नति की ओर अग्रसर करता है। इसके कुछ मुख्य लाभ निम्नानुसार है :- 1. कार्य करने की क्षमता बढ़ती है जिससे उत्पादकता बढ़ती है और अधिक सकारात्मक ऊर्जा भी प्राप्त होती है। 2. मिल-जुलकर काम करने की प्रेरणा मिलती है। 3. मुश्किलें आसानी से हल हो जाती है। 4. वृद्धि और विकास होता है। 5. तनाव कम होता है। 6.

व्यक्ति समाज में अपना समुचित योगदान देने वाला बनकर समाज के लिए महत्वपूर्ण पूंजी बन जाती है। 7. अच्छे व्ययक्तित्व का निर्माण होता है। 8. व्यक्ति असफल से सफलता की ओर दृष्टि डालता है। 9. कौशल प्रशिक्षण प्राप्त कर अच्छे ढंग से दिन की शुरूआत करता है। 10. कुशल प्रशिक्षण प्राप्त कर व्यक्तिगत जीवन-स्तर ऊँचा करता है। 11. कौशल प्रशिक्षण से सोच, दृष्टिकोण, आदतें, नैतिक मूल्य, सदाचार, स्वाभिमान के साथ जीवन में सफलता एवं लक्ष्य की प्राप्ति हेतु आत्मनियंत्रण, संवेदनशीलता, कठिन परिश्रम, समय की पाबंदी, अच्छा आचरण, व्यवहार एवं दूसरों से अलग पहचान बनाता है।

7. लाईवलीहुड कॉलेज भवन का निर्माण भौतिक उपलब्धि

राज्य के 24 जिलों में लाईवलीहुड कॉलेज भवन निर्माण का कार्य वित्तीय वर्ष 2017-18 में पूर्ण करने का लक्ष्य है-

1. जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी, दंतेवाड़ा -- कार्य पूर्णता की ओर
2. जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी, बीजापुर -- कार्य प्रगति पर
3. जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी, सुकमा -- कार्य पूर्ण
4. जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी, बस्तर -- कार्य पूर्ण
5. जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी, नारायणपुर -- कार्य प्रगति पर
6. जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी, कोण्डागांव -- कार्य प्रगति पर
7. जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी, रायपुर -- कार्य प्रगति पर
8. जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी, धमतरी -- कार्य प्रगति पर
9. जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी, गरियाबंद -- कार्य प्रगति पर
10. जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी, महासमुंद -- कार्य प्रगति पर
11. जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी, बलौदाबाजार-भाटापारा -- कार्य पूर्णता की ओर
12. जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी, जांजगीर-चांपा -- कार्य प्रगति पर
13. जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी, रायगढ़ -- कार्य प्रगति पर
14. जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी, बिलासपुर -- कार्य प्रगति पर
15. जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी, मुंगेली -- कार्य प्रगति पर

16. जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी, कबीरधाम -- कार्य प्रगति पर
17. जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी, बालोद -- कार्य प्रगति पर
18. जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी, बेमेतरा -- कार्य प्रगति पर
19. जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी, राजनांदगांव -- कार्य प्रगति पर
20. जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी, सरगुजा -- कार्य प्रगति पर
21. जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी, जशपुर -- कार्य पूर्णता की ओर
22. जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी, सूरजपुर -- कार्य पूर्णता की ओर
23. जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी, कोरिया -- कार्य पूर्णता की ओर
24. जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी, बलरामपुर -- कार्य प्रगति पर

8. लाईवलीहुड कॉलेज के बालिका छात्रावास निर्माण कार्य वर्ष 2016-17 की भौतिक उपलब्धि

वित्तीय वर्ष 2016-17 लाईवलीहुड कॉलेज हेतु बालिका 50-50 सीटर का छात्रावास भवन निर्माण की प्रगति-

1. जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी, बिलासपुर -- निर्माण कार्य प्रगति पर
2. जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी, महासमुंद -- निर्माण कार्य प्रगति पर
3. जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी, बालौदाबाजार -- निर्माण कार्य प्रगति पर
4. जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी, बेमेतरा -- निर्माण कार्य प्रगति पर
5. जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी, कबीरधाम -- निर्माण कार्य प्रगति पर
6. जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी, कांकेर -- निर्माण कार्य प्रगति पर
7. जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी, कोण्डागांव -- निर्माण कार्य प्रगति पर
8. जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी, जशपुर -- निर्माण कार्य प्रगति पर
9. जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी, कोरिया -- निर्माण कार्य प्रगति पर
10. जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी, बालोद -- निर्माण कार्य प्रगति पर

9. लाईवलीहुड कॉलेज के बालिका छात्रावास निर्माण कार्य वर्ष 2017-18 की भौतिक उपलब्धि

वित्तीय वर्ष 2017-18 में लाईवलीहुड कॉलेज छात्रावास भवन निर्माण के अंतर्गत 05 जिलों में बालक एवं 15 जिलों में बालिका छात्रावास एवं अधीक्षक/कार्यालय सहायक सह चौकीदार आवासीय भवन निर्माण कार्य प्रावधानित किया गया है। उक्त निर्माण कार्य हेतु प्रशासकीय विभाग की स्वीकृति पश्चात कार्य प्रारंभ करने का लक्ष्य रखा गया हैं।

10. कौशल प्रशिक्षण की भौतिक उपलब्धि

वर्तमान में लाईवलीहुड कॉलेज में प्रशिक्षणार्थियों को आधुनिक 35 से अधिक एम.ई.एस. कोर्स के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जा रहा है। लाईवलीहुड कॉलेज के अंतर्गत 9 सेक्टर्स एवं अध्यक्ष का नाम जिसमें प्रशिक्षाण दिया जाना है, लाईवलीहुड कॉलेजों के माध्यम से अभी 09 सेक्टर्स आईसीटी, कंस्ट्रक्शन, फेब्रीकेशन, इलेक्ट्रिकल, गारमेंट, इलेक्ट्रानिक्स, हॉस्पिटिलिटी एवं ऑटोमेटिव रिपेयर इत्यादि में जिला स्तर एवं क्षेत्रीय कार्य योजना एवं वर्तमान बाजार में मांग के अनुसार कौशल विकास योजनाओं के अंतर्गत 5200 से भी अधिक प्रायोजित हितग्राहियों को कौशल प्रशिक्षण हेतु लाभान्वित किया गया, जिनमें नक्सल प्रभावित क्षेत्र के सर्वाधिक युवा है। जिलो में लाईवलीहुड कॉलेजों के संचालन लिए जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज समिति हेतु कलेक्टर को अध्यक्ष तथा सीईओ जिला पंचायत को पदेन निदेशक मनोनित किया गया है। उक्त समिति में विभिन्न विभागीय अधिकारियों को सदस्य के रूप में मनोनित किया गया है। इस तरह राज्य में लाईवलीहुड कॉलेजों का संचालन सीधे जिला प्रशासन के नियंत्रण में किया जा रहा है।

लाईवलीहुड कॉलेज संचालन हेतु विभिन्न मॉडल जैसे विभागीय मोड में प्रशिक्षकों द्वारा, पी.पी.पी. मोड में प्रशिक्षक के भागीदारों द्वारा और सी.एस.आर. मोड में संचालन हेतु स्थापित नामी उद्योगों को आमंत्रित कर किया जाता है। लाईवलीहुड कॉलेजों में एम.ई.एस. कोर्स के अल्पअवधि पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण दिया जाता है। इन कोर्सेस की अवधि 50 घंटे से 1800 घंटे तक की है। एम.ई.एस. कोर्स के अतिरिक्त राज्य तथा केन्द्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत भी विभिन्न अवधि के कोर्सस में निःशुल्क प्रशिक्षण

दिया जाता है। राज्य सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना अंतर्गत कौशल प्रशिक्षण को एक महत्वपूर्ण भूमिका मॉडल के रूप में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षणार्थियों का चयन प्रक्रिया के अन्तर्गत निम्नानुसार विधि अपनाई जाती है:-

(1) मार्गदर्शन कैम्प/काउंसलिंग शिविर का आयोजन

(2) कैरियर मड़ई के माध्यम से पंजीयन

(3) कौशल विकास के अधिकार के अंतर्गत पोर्टल में पंजीयन

क्रमांक	वित्तीय वर्ष	प्रशिक्षित	नियोजित
1	वर्ष 2016-17 (अप्रैल 2016 से सितम्बर 2016 तक)	6200	2945
2	वर्ष 2016-17 (अक्टूबर 2016 से मार्च 2017 तक)	6875	3248
3	वर्ष 2017-18 (अप्रैल 2017 से सितम्बर 2017 तक)	6148	3281

11. बजट की वित्तीय स्थिति

राज्य परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी एवं 27 जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी की पद संरचना के अनुसार अधिकारियों/कर्मचारियों की पद स्थापना, स्थापित किये जा चुके हैं। प्रत्येक जिले में लाईवलीहुड कॉलेज भवन निर्माण कार्य लगभग 2017-18 की स्थिति में पूर्णता की ओर है। सभी जिलों में कौशल प्रशिक्षण का कार्य पूर्व से प्रारंभ हो गया है। प्रशिक्षण भवन उपलब्धता एवं आवश्यकता के अनुसार प्रशिक्षण हेतु मशीन, औजार एवं उपकरण लैब सामग्री व्यवस्था के लिए पर्याप्त मात्रा में बजट राशि उपलब्ध कराई जा रही है। उक्त परियोजना के प्रशासनिक व्यय एवं कौशल प्रशिक्षण व्यवस्था के अन्तर्गत व्यय की स्थिति निम्नानुसार है:-

(राशि लाख में)

क्र.	वित्तीय वर्ष	मद का नाम	उपलब्ध राशि	व्यय राशि
1	वर्ष 2016-17 (अप्रैल 2016 से सितम्बर 2016 तक)	स्थापना अनुदान (वेतन भत्ते एवं अन्य व्यय मद 27 जिले सहित)	287.22	97.07
2	वर्ष 2016-17 (अक्टूबर 2016 से मार्च 2017 तक)	स्थापना अनुदान (वेतन भत्ते एवं अन्य व्यय मद 27 जिले सहित)	228.79	101.70
		मशीन औजार एवं उपकरण मद 27 जिले सहित (लैब)	360.99	349.00
3	वर्ष 2017-18 (अप्रैल 2017 से सितम्बर 2017 तक)	स्थापना अनुदान (वेतन भत्ते एवं अन्य व्यय मद 27 जिले सहित)	227.09	220.00

12. मशीन औजार एवं उपकरण प्रशिक्षण (लैब) सामाग्री की व्यवस्था

राज्य लाईवलीहुड कॉलेज के अधीनस्थ 27 जिलों में जिला लाईवलीहुड कॉलेज की पदसंरचना हो चुकी है। सभी जिलों में स्थानीय बेरोजगार/जरूरत मद लोगों को निःशुल्क प्रशिक्षण देने की व्यवस्था स्थापित की गई है। इस योजना के लक्ष्य एवं दिशा-निर्देश के अनुरूप कौशल प्रशिक्षण हेतु केन्द्र शासन एवं राज्य शासन की ओर से प्रावधानित बजट में से मशीन, औजार एवं उपकरण लैब सामग्री क्रय हेतु कलेक्टर्स सह अध्यक्ष लाईवलीहुड कॉलेज को राशि उपलब्ध कराई जाती है। ताकि विभागीय एवं अन्य विभागों के माध्यम से आयोजित प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षणार्थियों को कौशल प्रशिक्षण हेतु लाभान्वित किया जा सके। लाईवलीहुड कॉलेज में मशीन, औजार एवं उपकरण लैब सामग्री संचालित ट्रेनिंग कोर्स एवं पाठ्यक्रम के अनुसार प्रत्येक जिले में स्थापित किये जाने का प्रयास किया जा रहा है। वर्ष 2014-15 से मशीन, औजार एवं उपकरण मद में उपलब्ध बजट की स्थिति निम्नानुसार है-

स. क्र.	वित्तीय वर्ष	उपलब्ध राशि	व्यय राशि
1	2014-15	457.30	457.30
2	2015-16	634.57	634.57
3	2016-17	360.99	349.00
4	2017-18	11.99	10.00

13. कौशल प्रशिक्षण उपरांत मूल्यांकन/प्रमाणीकरण कार्य

कौशल प्रशिक्षण केन्द्र शासन एवं राज्य शासन द्वारा निर्धारित कोर्स से संबंधित संचालित पाठ्यक्रम एवं विषय-वस्तु का प्रशिक्षण हेतु प्रत्येक जिले में लाईवलीहुड कॉलेज की स्थापना की गई है। सर्वप्रथम यह आवश्यक है कि किसी भी परियोजना का प्रबंध संचालन का कार्य शासन एवं आम लोगों के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण हो, जिसमें कार्य कुशलता एवं कार्य क्षमता योग्यता अनुरूप निर्धारित हो। जिला स्तर में जिले के कलेक्टर के मार्गदर्शन एवं नियंत्रण में शासन के विभिन्न विभागों में संचालित योजनाओं का क्रियान्वयन का कार्य किया जाता है। मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के अन्तर्गत शासकीय विभाग एवं प्राइवेट स्व-सेवी वी.टी.पी. को विभिन्न ट्रेडर्स में प्रशिक्षण हेतु कार्य दायित्व सौंपा जाता है। इस योजना अन्तर्गत शासन द्वारा कौशल प्रशिक्षण हेतु मशीन, औजार एवं उपकरण निःशुल्क में उपलब्ध कराई जाती है। प्राइवेट वी.टी.पी. एवं शासकीय वी.टी.पी. को कौशल प्रशिक्षण नियम शर्तों के आधार पर प्रशिक्षण लागत राशि भी भुगतान की जाती है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ी युवाओं को कौशल विकास करने के लिए कानूनी अधिकार दिया है। युवाओं को कौशल विकास के लिए अपने आस-पास के शहरों एवं गांवों की जरूरतों के अनुसार तथा रूचि के अनुरूप हुनर प्राप्त करने के लिए 108 सेक्टर के 803 कोर्सेस उपलब्ध हैं। जिला प्रशासन द्वारा विभिन्न प्रकार के योजनाओं के तहत प्रशिक्षण की व्यवस्था बजट व अन्य संसाधनों के जरिये जिले में उपलब्ध अधोसंरचना का उपयोग करते हुए लाईवलीहुड कॉलेज का संचालन एवं प्रशिक्षणार्थियों को सर्व सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। प्रशिक्षण कोर्सेस की अवधि 50 घंटे से 1800 घंटे तक की है। योजना के संचालन एवं प्रशिक्षण कार्य विधि उचित ढंग से एवं नियम शर्तों का पालन के संबंध में प्रशिक्षण केन्द्रों का निरीक्षण, मूल्यांकन, प्रशिक्षणदाता एवं नियोजन इत्यादि महत्वपूर्ण कार्यों का निगरानी एवं प्रमाणीकरण व सत्यता की जांच की जाती है। प्रशिक्षण प्रारम्भ के 15 दिन पूर्व राज्य कौशल विकास प्राधिकरण से ए.बी.एन. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है। मूल्यांकन हेतु राज्य प्राधिकरण में 44 थर्ड पार्टी एसेसमेंट एजेंसी और 571 मूल्यांकनकर्ता हैं। मूल्याकन उपरांत परीक्षा परिणाम वेब पोर्टल में अपलोड किये जाते हैं और इसी आधार पर प्रमाण पत्र डाउनलोड किए जाते हैं। प्रशिक्षण प्रदाता के माध्यम से प्रशिक्षित युवाओं को जिला कौशल विकास प्राधिकरण एवं जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी के माध्यम से कौशल प्रशिक्षण का हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र प्रदान किये जाते हैं।

14. लाईवलीहुड कॉलेज में कौशल प्रशिक्षण एवं अन्य सुविधाएँ

लाईवलीहुड कॉलेज के अंतर्गत 27 लाईवलीहुड कॉलेजों में जिलों में निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण शासन द्वारा प्रारम्भ किया गया है। देश का छत्तीसगढ़ पहला राज्य है, जो कम अवधि में ऐसा कानूनी बनाकर कौशल प्रशिक्षण के क्षेत्र में अपना पहचान बना लिया है। प्रत्येक जिले में कौशल विकास योजना के तहत लाईवलीहुड कॉलेज भवन उपलब्ध है। कौशल प्रशिक्षणार्थियों के लिए रहवासी हेतु बालक/बालिकाओं के लिए छात्रावास भवन निर्माणाधीन है। लाईवलीहुड कॉलेज में रहवासी प्रशिक्षणार्थियों के रहने एवं भोजन व्यवस्था के लिए मुख्यमंत्री कौशल विकास प्रशिक्षण योजना अन्तर्गत प्रति प्रशिक्षणार्थी प्रति दिवस हेतु राशि रू. 150/- के दर से प्रशिक्षण लागत के तहत अर्जन करने का प्रावधान किया गया है। जिला स्तर में शासकीय उपलब्धता के आधार पर निःशुल्क हॉस्टल तथा भोजन सुविधा, कौशल प्रशिक्षण के अनुरूप आवश्यकता तथा उपलब्धता के आधार पर निःशुल्क प्रशिक्षण यूनिफार्म तथा कोर्स मटेरियल, मल्टीमीडिया/प्रोजेक्टर के माध्यम से प्रशिक्षण, एक्पोजर विजिट - आधुनिक जीवन शैली से परिचित कराने, रोजगार नियोजन हेतु प्लेसमेंट केम्प, स्व-रोजगार हेतु सब्सिडी तथा लोन एवं व्यक्तित्व विकास तथा अंग्रेजी ज्ञान हेतु कार्यशाला इत्यादि की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है।

---000---